### न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 778/36–3–2011 दिनांक 18.08.2011 तथा शुद्धिपत्र विषयक अधिसूचना संख्या 1778/36–3–2011 दिनांक 03.10.2011 द्वारा कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी। उक्त के अनुक्रम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल

भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100)माहजुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत 288.33 (दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय है :--

दृष्टांत :— रूपयें 4300.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01. 10.2018 से 31.03.2019 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :—

(288.33 - 181)

181

-----X 4300 = रू0 2549.83 प्रतिमाह

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :--

क्र	श्रेणी	प्रतिमाह	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक		
			दिनांक 01.04.2018 से 3 09.2018 तक	0.दिनांक 01.10.2018 से 31. 03.2019 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें, (रूपये में)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अकुशल	4300.00	2494.48	2549.83	6849.83	263.45	
2	अर्द्ध कुशल	4900.00	_ 2842.54	2905.62	7805.62	300.22	
3	कुशल	5450.00	3161.60	3231.76	. 8681.76	333.91	
4	तारवाला	11150.00	6468.23	6611.77	17761.77	683.14	
5	बेलनिया	7800.00	4524.86	4625.27	12425.27	477.89	
6	पर्यवेक्षक	7550.00	4379.83	4477.02	12027.02	462.58	
7	मात्रानणती दर	। रों के आधार प्रधि में रूपये	। पर चूड़ी जुड़ाई के कार्य 2000.00 प्रति 100 तोड़ा	में नियोजित श्रमिकों की न्यून एवं दिनांक 01.01.2019 से 3	तम मजदूरी की दरें दिना 1.12.2019 की अवधि में	क 01.01.2018 से 3 रूपये 2050.00 प्रति	

तोडा होगी।

( राजेश मिश्रा ) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

## कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०-. / प्रवर्तन0-(म० भत्ता) / 15 प्रतिलिपि :- 13 2 7 - 13 5 2 दिनांक 14 - 9 - 2018

- समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएें।
- 2. अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
- 3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से।
- अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लंखनऊ।
- 5. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।
- 6. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषितसमस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 7. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनाधी।

( राजेश मिश्रा ) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

### <u>न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई</u> भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संo 801/36–3–2013–79(न्यूo वेo)/07 दिनांक 25.07.2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 181 अंको के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत अंक 288.33( दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय है :—

<u>दृष्टांतः</u>— रूपये 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10. 2018 से दिनांक 31.03.2019 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः—

(288.33-181)

181

-----X 4500=रू0 2668.43 प्रतिमाह

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :--

क्र	शासनादेश	वर्तमान में	प्रतिमाह मूल	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019		
	वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉ	संशोधित श्रेणियॉ	मजदूरी रूपये में	दिनांक 01.04. 2018से दिनांक 30. 09.2018 तक	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें, (रूपये में)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	2610.50	2668.43	7168.43	275.71	
2	अर्द्ध कुशल	अर्द्ध कुशल	5000.00	2900.55	2964.92	7964.92	306.34	
3	कुशल–क	कुशल	5400.00	3132.60	3202.11	8602.11	330.85	
4	कुशल-ख	कुशल	5300.00	3074.59	3142.81 *	8442.81	324.72	
5	कुशल-ग	कुशल	5200.00	3016.57	3083.51	8283.51	318.60	
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	3190.61	3261.41	8761.41	336.98	
7	लिपिक-1	कुशल	5400.00	3132.60	3202.11	8602.11	330.85	
8	लिपिक-2	कुशल	5100.00	2958.56	3024,22	8124.22	312.47	

( राजेश मिश्रा )

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

कृतें श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपर। दिनांक 1419 , 2018

पत्र सं0-1280-1326/प्रवर्तन0-(एम०डब्लू०) / 15 प्रतिलिपिः-

- समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- 2. अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
- 3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.inके माध्यम से।
- 4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- 5. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
- 6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inuर अपलोड कराने हेतु।
- 7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

( राजेश मिश्रा )/ / उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश ।

14/09/18

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम—1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/04, दिनांकः 28.01.2014 द्वारा 59अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भक्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकाँक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई. 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत अंक 288.33( दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा:--

दुष्टांत :- 'रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03. 2019 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा:-

(288.33 - 216)

216

-x 5750 = रू0 1925.45 प्रतिमाह

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्र		प्रतिमाह मूल	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंह	हगाई भत्ता (रूपये में)	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक		
0		मजदूरी (रूपये में)	दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	कुल मजदूरी(रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)	
1	2	3	4	. 5	. 6		
1	अक्शल	5750.00	1863.42	1925.45	7675.45	295.21	
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	2049.77	2118.00	8443.00	324.73	
3	कुशल	7085.00	2296.06	2372.49	9457.49	363.75	

नियोजनों के नाम :--

रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग। 1.

प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग। 2.

मिष्ठान उद्योग। 3.

वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण। 4.

फलों के रसों की विनिर्माणशाला। 5.

परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग। 6.

पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प। 7.

डेरी और मिल्क डेरी। 8.

सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला। 9.

बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई। 10.

उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है । 11.

प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राईवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों। 12.

ढलाई घर। 13.

धात् उद्योग। 14.

टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग 15.

ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों । 16.

चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला। 17.

चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग। 18.

होजरी संकर्म। 19.

निजी पुस्तकालय। 20.

काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग। 21.

प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाएं भी सम्मिलित हैं। 22.

तम्बाकु विनिर्माण। 23.

धर्मशाला। 24.

वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है। 25. दुकान।

26.

वाणिज्य अधिष्ठान। 27.

चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल। 28.

29. तेल मिल।

लोक मोटर परिवहन। 30.

यांत्रिक परिवहन कर्मशाला। 31.

आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला। 32.

सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं। 33.

पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने। 34.

चिकन के कार्य। 35.

दियासलाई उद्योग। 36.

आइसकैण्डी / आइस्क्रीम विनिर्माणशाला। 37.

बेकरी और बिस्कूट विनिर्माणशाला। 38.

बर्फ विनिर्माणशाला। 39.

IANTER second DA

एरबेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला 40.

लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान। 41.

जिल्दसाजी। 42.

कोल्ड स्टोरेज। 43.

पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीजं। 44.

निजी मुद्रणालय। 45.

सिनेमा उद्योग। 46.

कपड़ा छपाई। 47.

सिलाई उद्योग। 48.

एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी। 49.

50. क्लब।

हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई ) जरी के कार्य। 51.

कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण। 52.

ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान। 53.

खाण्डसारी। 54.

1.

हथकरघा उद्योग। 55.

शक्ति चालित करघा उद्योग। 56.

छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण। 57.

कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग। 58.

ईट भट्ठा उद्योग। 59.

> ( राजेश मिश्रा ) उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

# कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 1354-1380 प्रवर्तन-(एम०डब्लू०) / 15

दिनांक [4]9/ , 2018

समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमि प्रतिलिपिः– सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों दारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ, ।

सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.inके माध्यम से। 2.

3. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।

4. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।

अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई—मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभाग 5. 6. वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।

श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ। 7. 8.

\_\_\_\_\_\_ 09/8 ( राजेश मिश्रा )

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

0.



# Regulatory ALERT 27<sup>th</sup> September 2018

# **Regulatory ALERT**



TeamLease is uniquely positioned to address the requirements in the domain of regulatory and labour law compliances. At TeamLease, our key focus is to translate the knowledge on upcoming developments in the area of Labour Law Compliances.

We thought one such way to solve that is through our, "Regulatory ALERT" system. This will provide information on recent regulatory changes happened in Labour Laws and also explains the implications and says how to implement those changes in order to make the regulatory functioning Smooth.

We had extended this platform to all our esteemed clients to create awareness on these changes in regulatory functioning so as to ensure complied in all Labour Law related areas.





Notifications and Circulars.

Title: Revision in Minimum Wages for the State of Uttar Pradesh.

**Description**: As per notification, Minimum Wages has been revised for the state of Uttar Pradesh with effective from 1st October 2018.

Notified on : 14<sup>th</sup> September, 2018

<u>Applicability</u>: Applies to all scheduled employments as specified under Minimum Wages Act, 1948 to the <u>State of Uttar Pradesh.</u>





↔ Team Lease Views Points and Required Actions:

Minimum wages as on 30th September 2018				Minimum wages as on 1st October 2018			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month	Difference in Total/Month
Skilled	7085	2296	9,381	7085	2373	9,458	77
Semi Skilled	6325	2050	8,375	6325	2118	8,443	68
Unskilled	5750	1863	7,613	5750	1926	7,676	63